न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2019 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 14.11.2019
G.C.M.S. NO. :- 2019/00096

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

श्री रामदेव उत्पादन समिति, राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी कपासन मि. न. 456/75 आवंटन दिनांक 17.05.1976

उपस्थितिः–1– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 05.06.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार, राशमी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भूआवंटन नियम, 1970 के तहत विरूद्ध विपक्षी के पेश कर निवेदन किया कि मौजा राशमी की बिलानाम आराजी नम्बर 964 साकिब रकबा 0.04 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी हक से विपक्षी को तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा जरिये मिसल नम्बर 456/75 से दिनांक 17.05. 1976 को आवंटित की जो जरिये नामान्तरण संख्या 300 से विपक्षी के नाम गैर

Web Copy - Not Official

खातेदारी हक से दर्ज की गई। उक्त गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर विपक्षी का कभी भी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा न ही विपक्षी ने आवंटन नियमों की पालना की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी का सूचना पत्र इस नाम की कोई समिति या ऑफिस ग्राम राशमी में नहीं है की टिप्पणी के साथ प्राप्त हुआ। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब की गई। पत्रावली प्राप्त होने पर बहस प्रकरण राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की है तथा आवंटित भूमि पर कभी भी विपक्षी का कब्जा नहीं रहा एवं मौके पर वर्तमान मे भी विपक्षी का कब्जा नहीं होकर मौके पर खाली पड़त पड़ी हुई है। अतः आवंटन निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। तलबीदा आवंटन पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार भू आवंटन कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा विपक्षी को ग्राम राशमी की बिलानाम आराजी संख्या 964 रकबा 0.04 बीघा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी हक से किया गया है। लेकिन आवंटन के पश्चात् से उक्त भूमि पर विपक्षी का कभी कब्जा-काश्त नहीं रहा है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध पटवार हल्का राशमी के मौका पर्चा दिनांक 03.09.2019 से होती है।

पटवार हल्का राशमी ने अपने मौका पर्चा दिनांक 03.09.2019 में उक्त आवंटित भूमि आराजी नम्बर 964 रकबा 0.04 बीघा में से 0.02 बीघा भूमि सड़क मे चली जाना तथा शेष 0.02 बीघा भूमि खाली पड़त पडी होना बताया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विपक्षी का उसको गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। निष्कर्षतः भूमिधारी तहसीलदार, राशमी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को आराजी नम्बर 964 रकबा 0.04 बीघा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official